श्री राघवेन्द्र सिंह, भा0प्र0से0 जिला पदाधिकारी, बक्सर की अध्यक्षता में दिनांक 19.05.2018 को सिमरी प्रखण्ड में जन प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

दिनांक 19.05.2018 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सिमरी प्रखण्ड के सभागार में प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारियों, मुखिया एवं वार्ड सदस्यों के साथ सरकार की महत्त्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान उप विकास आयुक्त, जिला योजना पदाधिकारी–सह–वरीय प्रभारी, अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरी प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, प्रखण्ड स्तरीय अन्य पदाधिकारी, प्रखण्ड प्रमुख, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं वार्ड सदस्य उपस्थित थे। समीक्षा बैठक की कार्यवाही निम्नवत् है–

(1) जिला समन्वयक, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वारा बताया गया कि सिमरी प्रखण्ड में शौचालय निर्माण में काफी प्रगति हुई है तथा 67 प्रतिशत घरों में शौचालय बन चुका है। लगभग 33 प्रतिशत घरों में शौचालय बनाया जाना है। सभी वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति एक बार संयुक्त रूप से प्रयास करें तथा लोगों का व्यवहार परिवर्तन करते हुए इन 33 प्रतिशत घरों में शौचालय निर्माण पूर्ण करायें तथा अपने प्रखण्ड को खुले में शौच मुक्त करायें।

(2) उप विकास आयुक्त के द्वारा बैठक में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत किया गया। उनके द्वारा शौचालय निर्माण के संबंध में जानकारी दी गई तथा बताया गया कि महिलाओं एवं बच्चियों के कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उनके सम्मान हेतु अपने घरों में शौचालय निर्माण करायें। साथ ही यह बताया गया कि सिमरी प्रखण्ड के खुले में शौच मुक्त हो जाने से सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा।

बैठक में बताया गया कि सिमरी प्रखण्ड में हर घर नल का जल योजना का कार्यान्वियन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा कराया जाना है तथा इसके लिए उक्त विभाग के द्वारा तैयारी की जा रही है।

उनके द्वारा बताया गया कि पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा पंचायत समिति के माध्यम से मनरेगा योजनाओं कराये जाने हेतु आदेश की मांगी की जा रही है। इस संबंध में बताया गया कि संबंधित पत्र शीघ्र सभी प्रखण्डों को भेज दिये जायेंगे।

(3) बैठक में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा जन प्रतिनिधियों को बताया गया कि उनके क्षेत्र में किसी योजना के कार्यान्वियन के क्रम में कोई जानकारी की आवश्यकता हो अथवा किसी प्रकार की समस्या हो तो अवगत करायें। इस क्रम में जन प्रतिनिधियों के द्वारा निम्नवत् समस्याओं से अवगत कराया गया–

(i) शौचालय निर्माण का प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं हो रहा है।

(ii) पंचायत समिति की बैठक में सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। साथ ही पंचायत समिति के बैठक में पारित प्रस्तावों जिन पर जिला स्तर पर कार्रवाई की जानी है, उसके आलोक में कार्रवाई की जाय।

(iii) गोप भरौली, खरहाटांड से लहना, खैरापट्टी ग्राम, मुकुन्दपुर ग्राम, नारायणपुर ग्राम, काजीपुर, पैगम्बरपुर ग्राम जाने हेतु पथ बनाया जाय।

(iv) नियाजीपुर बजार में अतिक्रमण है, जिसे अतिक्रमण मुक्त कराया जाय।

(v) सात निश्चय योजनाओं की एम0बी0 नहीं हो पा रही है। इसकी व्यवस्था किया जाय।

(vi) पड़री में मनरेगा योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता हुआ है तथा काम होने के बाद बोर्ड लगाया गया है। जाने के लिए पथ नहीं है।

(vii) बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सिमरी अपने कार्यालय नहीं आती है तथा इन्हें कोई पहचानता भी नहीं। प्रमुख के द्वारा पत्राचार करने पर पत्र का जवाब भी नहीं दिया जाता है। सिमरी प्रखण्ड में सप्ताह में तीन दिन कार्यालय कार्य करने हेतु निदेशित किया जाय।

(viii) प्रखण्ड परिसर में शौचालय नहीं है। अतः शौचालय निर्माण कराया जाय।

उपर्युक्त के समस्याओं के समाधान के संबंध में सभी संबंधित पदाधिकारियों को कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(4) बैठक में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा निम्नांकित विषयों पर जन प्रतिनिधियों को जानकारी दी गयी तथा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिये गये–

(i) बैठक में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की जानकारी दी गई तथा बताया गया कि घर के महिलाओं के सम्मान के लिए घर में शौचालय बनाया जाना आवश्यक है। खुले में शौच जाने से होने वाले बीमारियों एवं महिलाओं एवं बच्चियों के कठिनाइयों से अवगत कराते हुए सभी को अपने घरों में शौचालय निर्माण एवं उसके उपयोग एवं प्रखण्ड को खुले में शौच मुक्त हेतु अपील की गई। बैठक में बताया गया गया कि पंचायत के खुले में शौच मुक्त होने के बादे कचरा प्रबंधन आदि की व्यवस्था की जानी है। इसके अतिरिक्त यदि पंचायत खुले में शौच मुक्त होगा तो सरकार की अन्य योजनाओं से भी उक्त पंचायत को आच्छादित किया जाएगा।

बैठक में जानकारी दी गई वैसे वार्ड जिनमें 75 प्रतिशत घरों में शौचालय बन चुका है, उसमें जांचोपरान्त भुगतान की जाएगी।

(ii) बिहार स्टूडेंड क्रेडिट कार्ड योजना की जानकारी दी गई। इस क्रम में बताया गया कि उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को ऋण दी जा रही है तथा इसमें 4 प्रतिशत के दर से ब्याज ली जाएगी। यदि निर्धारित ससमय सीमा से कम समय में ली गई राशि वापस की जाती है तो 0.25 प्रतिशत की छूट है। अर्थात् 3.75 प्रतिशत ही छूट है। छात्राओं के लिए मात्र 01 प्रतिशत ही ब्याज देय है तथा उसे भी निर्धारित समय–सीमा से कम समय में राशि भुगतान करने पर 0.25 प्रतिशत की छूट मिलेगा। इस योजना के लाभ हेतु बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं है तथा अब बिहार शिक्षा वित्त निगम से उक्त ऋण राशि छात्रों आसानी से मिल जाएगा। दिनांक 22.5.2018 से इसके प्रचार–प्रसार हेतु

Rajiv

कार्यशाला का आयोजन किया गया है। बैठक में बताया गया कि उपर्युक्त के अतिरिक्त कुशल युवा केन्द्र में युवकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा तथा ऐसे छात्र जो +2 पास है तथा पढ़ाई छोड़ दिये हैं एवं नौकरी की तैयारी कर रहे है, ऐसे छात्रों को मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के अन्तर्गत 1000 रुपये प्रति माह दिये जाएंगे।

(iii) दहेज एवं बाल विवाह उन्मूलन के बारे में जानकारी दी गई की गयी एवं बताया गया कि वार्ड, पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर पर दहेज प्रथा एवं बाल विवाह उन्मूलन की टास्क फोर्स की गठन कर साप्ताहिक आधार पर बैठक कर अनुश्रवण की जानी है तथा लोगों को जागरूक किया जाना है। दहेज एवं बाल विवाह जैसे कुरीति समाज के लिए अभिशाप है तथा इसे जागरूकता फैला कर समाप्त किया जाना है। जन प्रतिनिधियों से अपील की गई कि दहेज एवं बाल विवाह उन्मूलन की दिशा में जागरूता फैलाने का कार्य करें तथा दहेज नहीं लेने तथा बाल विवाह नहीं करने के बारे में बतायें। यह एक सामाजिक आन्दोलन है अतः इसमें सभी लोगों की भागीदारी से ही दहेज प्रथा एवं बाल विवाह जैसे कुरीतियों को दूर किया जा सकता है।

(iv) मद्य निषेध के बारे में जानकारी दी गई तथा अपील की गई कि यदि कोई शराब का सेवन करता है अथवा कहीं बिक्री की सूचना प्राप्त होती है तो उसके बारे में थानाध्यक्ष, अंचल अधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक या सीधे अधोहस्ताक्षरी को सूचना दें। आपके सूचना पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी एवं आपका नाम भी गोपनीय रहेगा। यदि आप चाहें तो इसकी सूचना विभाग के दूरभाष पर दे सकते है। मद्य निषेध के प्रति सभी लोगों को सक्रिय होने की आवश्यकता है।

(v) बैठक में बताया गया कि जिस ग्राम में जाने हेतु पथ नहीं है तथा सरकारी जमीन उपलब्ध हो तो पंचायत समिति के स्तर से पथ निर्माण करायें। पंचायत समिति के स्तर से मनरेगा के अन्तर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन के संबंध में उप विकास आयुक्त के स्तर से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।

(vi) सिमरी प्रखण्ड में सात निश्चय के अन्तर्गत हर घर नल का जल योजना का कार्यान्वयन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल के द्वारा कराया जाएगा। हर घर पक्की गली नाली का कार्य पंचायत को करना है, परन्तु प्रगति काफी धीमी है। वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 को मिलाकर कुल 50 प्रतिशत वार्डो में कराया जाना है। निदेशित किया गया कि उपलब्ध राशि को वार्ड प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति के खाते में हस्तांतरित करें तथा कार्य प्रारम्भ करें।

(vii) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि प्रखण्ड परिसर में एक शौचालय का निर्माण करायें। इसके लिए पंचम वित्त या अन्य मद का राशि का नियमानुसर उपयोग किया जा सकता है।

(viii) जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बक्सर को निदेशित किया गया कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, ब्रह्मपुर जो सिमरी प्रखण्ड के भी प्रभार में है, उन्हें सिमरी प्रखण्ड में कार्य दिवस निर्धारित करें तथा उक्त दिवस की उपस्थिति सुनिश्चित करायें।

(5) जिला योजना पदाधिकारी के द्वारा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्य, कौशल युवा कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना की विस्तृत जानकारी दी गई तथा पम्पलेट्स भी वितरित की गई एवं अपील की गई कि अपने आस–पास के लोगों को इस योजना की जानकारी दें ताकि वे इसका लाभ उठा सकें।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह०/- 23/05/18

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 1016 72 गो० दिनांक 24-5-2018

प्रतिलिपि : कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, सिमरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि टिप्पणी की प्रति अपने स्तर से संबंधित प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारियों/पंचायत के नोडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, बक्सर को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला समन्वयक, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, बक्सर/ जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला योजना पदाधिकारी, बक्सर–सह–मेंटर, सिमरी/विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, बक्सर/अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरांव/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 23/05/18

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।